

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266507
CG-DL-E-29092025-266507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947

No. 626]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 710(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार बनाने का प्रस्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा अधिसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, आम जन के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं; आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, को श्री रविशंकर निराला, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को अथवा ईमेल (fas@dgfasi.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेजा जा सकता है। आपत्तियां और सुझाव एक प्रोफार्मा में भेजे जाएं जिसमें कॉलम (i) में व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस नियम या उपनियम का उल्लेख हो जिसे संशोधित करने का प्रस्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित नियम या उपनियम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से ऊपर निर्दिष्ट 45 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

बीड़ी तथा सिगार कर्मकारों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 की धारा 23 और 24 के अंतर्गत विहित मसौदा नियम।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (i) इन नियमों का नाम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 की धारा-23 और 24 के अंतर्गत बीड़ी तथा सिगार नियम, 202..... है।

ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

iii. ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "संहिता" से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 अभिप्रेत है;

(ख) "प्रभारी कैंटीन अधिकारी" से वह व्यक्ति (प्रबंधक के अलावा) अभिप्रेत है जिसे नियोक्ता द्वारा संहिता के अधीन कैंटीनों के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।

(घ) "संलग्नक" से इन नियमों से संलग्न सूची अभिप्रेत है;

(ङ) "वार्ता संघ या वार्ता परिषद" से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 14 में निर्दिष्ट संघ या वार्ता परिषद अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों को यहां परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु वे संहिता में हैं, तथा उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में दिए गए हैं।

3. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन सफाई और स्वच्छता:- बीड़ी और सिगार विनिर्माण के लिए प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(1) प्रत्येक उद्योग इसके परिसर और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और साफ स्थिति में रखा गया है।

(2) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।

(3) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श साफ-सुथरा रखा जाए तथा जहां तक संभव हो, इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।

(4) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

i. प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;

ii. फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और

iii. ऐसे स्थानों पर काम करते समय उपयोग के लिए उपयुक्त फिसलनरोधी जूते कर्मचारियों को बिना किसी व्यय के उपलब्ध कराए जाएं।

(5) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य कक्षों की सफाई की जाए।

(6) जहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

i. काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और

ii. यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

7 (प्रभावी पर्यवेक्षण के अधीन हर प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

4. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अंतर्गत वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता:

प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

(1) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएँ बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएँ, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहां व्यावहारिक हो, वहां की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जा सके।

(2) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के

घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान निःशुल्क उपलब्ध कराना।

- (3) जहां प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहां प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्ष में वांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहां यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।

5. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (iii) के अंतर्गत धूल के लिए सावधानी - प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरुद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वहां उपस्थित धूल के कणों के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते हैं।

6. पेयजल - धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन:- प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) सभी कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों के लिए स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुलभता से उपलब्ध हो।
- (2) पाइप द्वारा आपूर्ति के अलावा पेयजल की किसी भी आपूर्ति को उपयुक्त पात्रों में रखा जाए, जिन पर हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में स्पष्ट रूप से चिह्न अंकित या प्रदर्शित किया जाए, ताकि यह दर्शाया जा सके कि जल पीने के लिए सुरक्षित है और ऐसी आपूर्ति को प्रतिदिन भरा जाए तथा जल और पात्रों को संदूषण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं;
- (3) जहां पानी राईजिंग जेट द्वारा दिया जाता है, उस स्थान को छोड़कर, सामान्य पीने के गिलास या कप का उपयोग निषिद्ध है।
- (4) जहां जल पीने के लिए असुरक्षित है, या औद्योगिक प्रक्रियाओं या अन्य प्रयोजनों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, वहां इसका उल्लेख हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में किया जाना चाहिए, जिसे अधिकांश कर्मकार समझते हों।

7. भीड़भाड़ - धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (vi) के अंतर्गत:

प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) औद्योगिक परिसर में किसी भी स्थान पर, जहां कर्मचारियों को काम करना हो या किसी भी कारण से एकत्र होना हो, वहां भीड़भाड़ को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं, जिनमें शामिल हैं:
 - (i) सभी कार्य क्षेत्रों में भीड़भाड़ से संबंधित खतरों को दर्शाने वाले संकेतों या प्रतीकों का डिजाइन और उपयोग, जिसमें किसी भी समय ऐसे स्थानों पर काम करने के लिए अनुमत कर्मकारों की संख्या निर्दिष्ट की गई हो;
 - (ii) वाहनों और पैदल यात्रियों के रास्तों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित अवरोधों का उपयोग करके अलग रखा जाए।
 - (iii) वाहनों की तैनाती को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए और भीड़भाड़ से बचा जाए।

8. प्रकाश (ईल्यूमिनेशन) - धारा-23 की उपधारा (2) के खंड (vii) के अधीन:

प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) औद्योगिक परिसर में सभी स्थानों, जिनमें उपयोगिता सेवाओं से संबंधित सभी सुविधाएँ शामिल हैं, जहाँ कर्मचारी काम करते हैं या गुजरते हैं, या जिन्हें आपात स्थिति में काम करना या गुजरना पड़ सकता है, में उपयोग के समय पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, या दोनों उपलब्ध हैं, जो संचालन और किए जा रहे विशेष प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त हैं। जहाँ भी संभव हो, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था की जाए।
- (2) कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था तब प्रदान की जाए या व्यवस्थित की जाए जब दिन का प्रकाश कम हो या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ दिन का प्रकाश अपर्याप्त हो।
- (3) प्रत्येक कार्यस्थल पर, जहाँ कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में कर्मचारियों को जोखिम का सामना

करना पड़ता है, वहां पर्याप्त क्षमता की स्वचालित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिसके ऊर्जा स्रोत सामान्य प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों के लिए स्थापित उपकरणों से स्वतंत्र होने चाहिए और यह प्रचालन की अवस्था में हो।

9. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (viii) के अधीन शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था: प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) (i) औद्योगिक परिसर के प्रत्येक कार्य स्थल पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के उपयोग के लिए सुविधाजनक अलग-अलग स्थानों पर पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाए।
(ii) ऐसे आवास में पर्याप्त रोशनी और हवादार व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसे हर समय साफ और स्वच्छ रखा जाए।
- (2) (i) शौचालय, मूत्रालय और स्वच्छता ब्लॉकों का फर्श फिसलन रहित स्थिति में रखा जाए।
(ii) शौचालयों, मूत्रालयों और सैनिटरी ब्लॉकों की आंतरिक दीवारों पर चमकदार टाइलें लगाई जाए। वैकल्पिक रूप से, शौचालयों और मूत्रालयों की आंतरिक दीवारों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वे चिकनी, पॉलिश की हुई और अभेद्य सतह प्रदान करें जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्यपरकता को बढ़ावा मिले;
(iii) शौचालयों और मूत्रालयों के सैनिटरी पैन को हर समय धोया हुआ और साफ रखा जाए।
- (3) प्रत्येक 25 पुरुष और 15 महिला कर्मचारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए और निःशक्त कर्मचारों और ट्रांसजेंडर कर्मचारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। साथ ही, एक ही समय में कार्यरत प्रत्येक 15 पुरुष कर्मचारों के लिए कम से कम एक मूत्रालय की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय में पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध हो।
- (4) नल के पानी सहित वॉशबेसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- (5) महिलाओं के उपयोग के लिए उनके शौचालयों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं तथा उनका रखरखाव किया जाए तथा इन्हें दैनिक आधार पर भरा जाए।
- (6) महिलाओं के शौचालयों में इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन इकट्ठा करने के लिए ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाए। इस्तेमाल किए गए नैपकिन का सुरक्षित निपटान किया जाए। पुरुषों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी शौचालयों में ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (7) प्रत्येक शौचालय को कवर किया जाए तथा इस प्रकार विभाजित किया जाए कि गोपनीयता बनी रहे, तथा उचित दरवाजा, फास्टनिंग और निकास हो।
- (8) जहां पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निशक्त व्यक्ति कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक शौचालय ब्लॉक के बाहर हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में, जैसा भी मामला हो, "केवल पुरुषों के लिए" शक्त व्यक्तियों "केवल नि" या "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए" या "नोटिस प्रदर्शित किया जाता है।" के लिए
- (9) शौचालयों और मूत्रालयों से निकलने वाले अपशिष्ट और बहिःस्राव का उपचार किया जाता है और सुरक्षित:तरीके से उसका निपटान किया जाता है।
- (10) शौचालयों में पानी के नल-
(i) जहां पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध है, वहां ऐसे शौचालय में या उसके निकट जल के नल लगाए जाएंगे; और
(ii) यदि पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो नल या अन्य माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है, ताकि शौचालय और मूत्रालयों में या उनके निकट आसानी से जल उपलब्ध हो सके।

10. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ix) के तहत अपशिष्ट और बहिःस्राव का उपचार:- प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हुए, अपशिष्ट और बहिःस्राव:के उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए।

- (2) अपशिष्ट और बहिःस्त्रावःके प्रबंधन के जोखिम के आकलन के आधार पर, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)) निःशुल्क उपलब्ध जाएं; और
- (3) अपशिष्ट और बहिःस्त्रावःका प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों को पहचाने गए खतरों और जोखिमों के बारे में और प्रशिक्षण दिया जाए।

11. धुलाई की सुविधा धारा -24 की उप) धारा-1) के खंड)i) के अधीन : प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि- :

- 1) (आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलगअलग - साबुन, तौलिए और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो इस प्रकार हैं :
- कार्यस्थल से अलग हो;
 - अच्छी तरह हवादार हो;
 - उचित जल निकासी प्रणाली हो;
 - साफ सुथरी और स्वच्छ-स्थिति में हो;
 - निजता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और ताले हों;
 - हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसेकेवल " - पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिएकेवल निःशक्त व्यक्तियों के " या " (जो भी लागू हो) "लिए प्रदर्शित हों।

(2) एक ही तौलिये का इस्तेमाल करना मना है।

12. धारा 24 की उप) धारा-1) के खंड)ii) के अधीन स्नान गृह और लॉकर रूम की व्यवस्था:

प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि- :

- 1) आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष (, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलगअलग - साबुन, तौलिए और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो इस प्रकार हैं :
- कार्यस्थल से अलग हो;
 - अच्छी तरह हवादार हो;
 - उचित जल निकासी प्रणाली हो;
 - साफसुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो-;
 - गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और ताले हों;
 - हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसेकेवल " - पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिएकेवल निःशक्त व्यक्तियों के " या " (जो भी लागू हो) "लिए प्रदर्शित हों।
- (2) कार्य की प्रकृति के अनुसार, कार्य के समय पहने जाने वाले कपड़ों और ऐसे विशेष कपड़ों को रखने के लिए, जो कर्मचारी कार्य स्थल पर पहनते हैं लेकिन घर नहीं ले जाते, पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और निःशक्त व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध जगहों पर उपयुक्त और अलग लॉकर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

13. धारा 24 की उप) धारा-1) के खंड)iii) के अधीन कपड़े रखने और सुखाने की जगह -प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि- :

- (1) कार्य की प्रकृति के अनुसार, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निशक्त कर्मचारियों के लिए काम के घंटों के : दौरान न पहने गए कपड़ों को रखने और सुखाने के लिए उपयुक्त, अलग और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों।
- (2) ये सुविधाएं कार्यस्थल से अलग कमरों में हैं।

- (3) पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निशक्त कर्मचारियों के लिए एक चेंजिंग रूम है: गीले कपड़े सुखाने और कपड़े टाँगने के लिए उचित सुविधाएं हैं। साथ ही, जहां ज़रूरी हो, जहरीले, संक्रामक, जलन पैदा करने वाले या रेडियोएक्टिव पदार्थों से बचाव के लिए भी सुविधाएं हैं। काम के कपड़े और सामान्य कपड़े अलग रखने के लिए उचित लॉकर भी उपलब्ध हैं।
- (4) जब कर्मचारी ऐसे काम में लगे हों कि उनके काम के कपड़े गीले हो सकते हैं या शिफ्ट के बीच धोने पड़ सकते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है कि काम पर लौटने पर हर कर्मचारी के पास हमेशा सूखे कपड़े हों।
- (5) यह सुविधाएं इस तरह से उपलब्ध कराई जानी चाहिए —
 - (i) पर्याप्त आकार के और उचित वेंटिलेशन वाले व्यक्तिगत लॉकर;
 - (ii) बेंच या बैठने की अन्य उपयुक्त व्यवस्था।

14. धारा 24 की उप) धारा-1) के खंड v) के तहत कैटीन की व्यवस्था: प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि - :

- (1) ऐसे प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, जहाँ 100 या उससे अधिक कर्मचारी, जिनमें ठेका श्रमिक भी शामिल हैं, काम करते हैं, औद्योगिक परिसर में या उसके आसपास एक कैटीन है जहां कर्मचारियों को पौष्टिक-, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो।
- (2) औद्योगिक परिसर का नियोक्ता औद्योगिक परिसर में या उसके आसपास एक कॉमन कैटीन के माध्यम से - भी कैटीन की सुविधा दे।
- (3) कैटीन को धूल, धुएं या बदबूदार गैस से बचाने के लिए शौचालय, मूत्रालय और प्रोसेस एरिया से उचित दूरी पर हो।
- (4) कैटीन में कम से कम एक डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेंट्री और कर्मचारियों के हाथ धोने तथा बर्तन धोने के लिए अलगअलग जगह हो।-
- (5) कैटीन में प्रवेश और निकास के लिए अलगअलग दरवाजे हो।-
- (6) डाइनिंग हॉल
 - i. डाइनिंग हॉल को ऐसी किसी भी जगह से अलग रखा जाए जहाँ कोई खतरनाक पदार्थ खाने-पीने की चीज़ों, थालियों या बर्तनों को दूषित कर सकता हो;
 - ii. डाइनिंग हॉल में कर्मचारियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो, ताकि एक समय में ज़्यादा कर्मचारी भी आराम से बैठ सकें;
 - iii. डाइनिंग हॉल और सर्विस काउंटर का एक हिस्सा अलग करके महिला कर्मचारियों और निःशक्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित हो; और
 - iv. पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलगअलग वॉशरूम ह-ों और उनकी निजता का ध्यान रखते हुए उन्हें पर्दे से अलग किया गया हो।

)7(उपकरण

- i. भोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सारा सामान और बर्तन साफ किए जाएं और उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाए;
- ii. फर्नीचर और अन्य उपकरण साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जाते हैं।

) 8भोजन का भंडारण (, तैयारी और रखरखाव

- i. हर खाद्य प्रबंधक को भोजन से संबंधित ऐसे तरीकों का प्रशिक्षण और निर्देश दिए जाए जिससे भोजन दूषित न हो; और
- ii. कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, उसे खाद्य प्रबंधक के रूप में काम करने की अनुमति

नहीं दी जाए।

- (9) भोजन बनाने की जगह या डाइनिंग हॉल से बचा हुआ खाना और कचरा हटाकर ढके हुए कंटेनर में जमा किया जाए और समय समय पर उसका निपटान किया-जाए।
- (10) खाना, पेय और अन्य सामान बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, जिसकी कीमतें कैटीन प्रबंधन समिति तय करे; और
- (11) कैटीन में दिए जाने वाले भोजन, पेय और अन्य सामान का प्रति सर्विग मूल्य कैटीन में प्रदर्शित किया जाए।
- (12) कैटीन प्रबंधन समिति

(i) निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए एक कैटीन प्रबंधन समिति का गठन किया जाए:

क कैटीन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मात्रा;

खमेनू की व्यवस्था .;

कैटीन में भोजन का समय .; और

क कोई अन्य संबंधित मामला .

बशर्ते कि, यदि कैटीन का प्रबंधन बहु,राज्य सहकारी समिति अधिनियम-2002 के तहत पंजीकृत किसी सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है, तो कैटीन प्रबंधन समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) कैटीन प्रबंधन समिति में कर्मचारियों और नियोक्ता के बराबर संख्या में प्रतिनिधि हों;

(iii) नियोक्ता के प्रतिनिधि को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाए है और

(iv) कर्मचारियों के प्रतिनिधि की नियुक्ति संबंधित वार्ताकर यूनियन या काउंसिल द्वारा की जाए और यदि कोई यूनियन या काउंसिल नहीं है, तो कर्मचारी स्वयं कैटीन समिति के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। कैटीन प्रबंधन समिति में कम से कम एक महिला कामगार को नामित किया जाए, जहां महिला कामगार कार्यरत हैं।

(v) समिति का कार्यकाल आपसी सहमति से तय किया जाएगा। कर्मचारियों और नियोक्ता, दोनों पक्षों के समिति सदस्यों में से एकतिहाई सदस्य हर दो साल में बदले जाएंगे।-

(vi) कैटीन प्रबंधन समिति कैटीन प्रबंधक से परामर्श करके कैटीन के संचालन के बारे में निर्णय लेगी।

15. फर्स्ट एड और मेडिकल उपकरण धारा -24 की उप) धारा-1) के खंड (vii) के अधीन : प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि - :

- (1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर या उसके ऐसे हिस्से में जहां कर्मचारी काम करते हैं, पर्याप्त संख्या में फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी उपलब्ध हो और उनमें जरूरी सामान हो ताकि काम के समय वे आसानी से उपलब्ध रहें।
- (2) प्रत्येक शिफ्ट में, हर फर्स्ट-एड ट्रीटमेंट का प्रमाणपत्र -एड बॉक्स या अलमारी की जिम्मेदारी फर्स्ट-रखने वाले ऐसे किसी कर्मचारी या सुपरवाइजर को दी जाएगी, जो औद्योगिक परिसर या उसके किसी हिस्से के काम के घंटों के दौरान हमेशा उपलब्ध रहे।

प्रत्येक विभाग या सेक्शन में कम से कम एक पूरी तरह से सुसज्जित फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी - होनी चाहिए और काम के घंटों के दौरान उसका रखरखाव ठीक से किया जाना चाहिए।

अगर विभाग या सेक्शन में 200 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो फर्स्ट-एड बॉक्स की संख्या बढ़ाई जाए। हर फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी में रखे सामान की एक उदाहरण सूची-संलग्नक-1 में संलग्न है और नियोक्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार और सामान भी रख सकता है।

- (3) किसी औद्योगिक परिसर में कम से कम 33 प्रतिशत कर्मचारियों को फर्स्ट-एड की ट्रेनिंग दी-जाए

और हर 3 साल में उन्हें फिर से ट्रेनिंग दी जाए। जहां महिला कर्मचारी काम करती हैं, वहां कम से कम एक महिला कर्मचारी को भी ट्रेनिंग दी जाए। फर्स्टएड ट्रेनिंग भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची-I, अनुसूची-II या अनुसूची-III के भाग-II में शामिल चिकित्सा योग्यता वाले ट्रेनर द्वारा दी जानी चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची-III के भाग-II में शामिल योग्यता वाले व्यक्ति को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 13(3) या 2019 के नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी)) एक्ट के अध्याय-VI में उल्लिखित शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसके अलावा, उनके पास इंडस्ट्रियल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, इमरजेंसी मेडिसिन या समकक्ष में डिप्लोमा या डिग्री भी होनी चाहिए।

- (4) काम के दौरान होने वाली हर चोट या बीमारी की सूचना औद्योगिक परिसर के सुपरवाइजर को दी जाएगी, ताकि चोट या बीमारी पर नजर रखी जा सके। साथ ही, औद्योगिक परिसर में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जिन्हें झूटी के दौरान गंभीर चोट लगती है या बीमारी होती है, या जिन्हें फर्स्टएडर के अनुसार इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसे - पास के इलाके की नजदीकी डिस्पेंसरी या -कर्मचारियों को तुरंत औद्योगिक परिसर या उसके आस अस्पताल पहुंचाया जाएगा।
- (5) काम के दौरान चोट लगने पर हर कर्मचारी को यह बात फर्स्टएड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को बतानी चाहिए जो घायल व्यक्ति को आवश्यक फर्स्टएड उपलब्ध - एड का प्रमाणपत्र रखने वाले -कराने की व्यवस्था करेगा। यदि चोट लगने वाला कर्मचारी फर्स्ट कर्मचारी या सुपरवाइजर को यह जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, तो यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसे इस घटना के बारे में सबसे पहले पता चलता है कि वह यह जानकारी फर्स्ट-एड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को दे।
- (6) यदि सुपरवाइजर की राय में चोट ऐसी है कि उसे तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से इलाज की आवश्यकता है, तो वह तुरंत चिकित्सक को बुलाने की व्यवस्था करेगा या इस बारे में औद्योगिक परिसर के नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि को सूचित करेगा।
- (7) यह नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी को जल्द से जल्द नजदीकी डिस्पेंसरी अस्पताल पहुंचाया जाए/, बेहतर होगा कि इसके लिए एक उचित एम्बुलेंस वाहन का उपयोग किया जाए।

16. धारा 24 की उपधारा 3) के अधीन क्रेच सुविधा :-प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

1. प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, जहाँ सामान्यतः 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, कर्मचारियों के छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक क्रेच सुविधा प्रदान की जाए और उसका रखरखाव किया जाए।
2. जहाँ भी आवश्यकता हो, मोबाइल क्रेच उपलब्ध कराया जाए।
3. प्रत्येक क्रेच सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क और सुलभ हो;
4. क्रेच यथासंभव कार्यस्थल के भीतर या किसी निकटवर्ती सुलभ स्थान पर स्थित होना चाहिए;
5. क्रेच किसी भी औद्योगिक परिसर के करीब स्थित नहीं है जहाँ धूल या गंध छोड़ी जाती है;
6. क्रेच में या उसके निकटवर्ती के नहाने और उनके कपड़ों को धोने के लिए उपयुक्त वाशरूम हो ;;
7. क्रेच को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और स्वच्छतापूर्ण स्थिति में रखा जाए;
8. बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।
9. क्रेच बच्चों और शिशुओं की देखभाल के लिए अधिमानतः महिला के अधीन हो;
10. क्रेच के प्रभारी, सहायक कर्मचारी और गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
11. शिशुगृह के प्रभारी व्यक्ति के पास बच्चे की पहचान, निवास का पता आदि की जानकारी हो और इसका रखरखाव किया जाए।
12. शिशुगृह में बच्चे को लाने और छोड़ने वाले व्यक्ति का विवरण देखभालकर्ता के पास उपलब्ध होना चाहिए और

बच्चे को केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को लेने या छोड़ने जाता है तो मातापिता की अनुमति के साथ उसकी पहचान आवश्यक होगी।-

13. सुबह बच्चे के आगमन पर और बच्चे को लेने के समय सभी बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाए।
14. शिशुगृह में रहने के दौरान प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में साफ कपड़े, साबुन और साफ तौलिए उपलब्ध हों;
15. शिशुगृह में आराम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो;
16. सभी बच्चों को उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक, सम्पूर्ण और स्वास्थ्यकारी भोजन की पर्याप्त आपूर्ति की जाए;
17. कैंची, चाकू, ब्लेड, पिन आदि जैसी सभी नुकीली चीजें बच्चों से हमेशा दूर रखी जाए।
18. डिटर्जेंट, सफाई एजेंट, फिनाइल आदि जैसे रसायन बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
19. शिशुगृह में बचे हुए खाने या अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए गैरदहनशील ढके हुए पात्र उपलब्ध - कराए जाएं;
20. सभी बिजली के स्विचप्लग बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
21. क्रेच में बाहर निकलने का प्लान प्रदर्शित किया जाए।
22. शिशुगृह में किसी भी समय यहाँ तक कि अवकाश के दौरान भी किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाए।
23. किसी भी प्रकार का मौखिक या शारीरिक दुर्व्यवहार सख्त वर्जित किया जाए।
24. किसी भी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार और यौन शोषण से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 (के अंतर्गत सख्ती से निपटा जाए।
25. पर्यवेक्षक के माध्यम से शिशुगृह के कार्य समय के दौरान किसी भी समय, किसी भी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति को शिशुगृह के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। उदाहरण के लिए सिविल कार्य केवल सप्ताहांत/छुट्टियों के दौरान ही किए जाए।
26. शिशुगृह में कार्य समय के दौरान सीसीटीवी निगरानी हो।
27. महत्वपूर्ण और आपातकालीन संपर्क नंबर) जैसे 112, 1098, अग्निशमन सेवा, बाल संरक्षण अधिकारी, निकटतम पुलिस स्टेशन आदि जैसी हेल्पलाइन (शिशुगृह परिसर में आसान पहुँच और संदर्भ के लिए प्रदर्शित किए जाएं।
28. आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रणाली/कर्मचारी कॉल पर उपलब्ध हो।

धारा 24 (2) (vii): कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

17. माँक ड्रिल

प्रत्येक औद्योगिक परिसर के नियोक्ता को विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए माँक ड्रिल का त्रैमासिक आयोजन सुनिश्चित करे।

संलग्नक-I

नियम 16(2) के तहत फर्स्ट एड बॉक्स की सामग्री की सूची- :

1. उचित संख्या में छोटे, मध्यम और बड़े आकार के स्टरलाइज़्ड ड्रेसिंग पैड
2. उचित संख्या में बड़े आकार के स्टरलाइज़्ड बर्न ड्रेसिंग पैड
3. उचित संख्या में स्टरलाइज़्ड कॉटन के पैकेट
4. पर्याप्त मात्रा में सेट्रिमाइड सोल्यूशन (1%-3%) या उपयुक्त एंटीसेप्टिक सोल्यूशन (10% पोविडोन आयोडीन)
5. कैंची, ट्वीज़र, टूर्निकेट और डिस्पोजेबल दस्ताने
6. अलग-अलग साइज़ के पर्याप्त एडहेसिव टेप और एडहेसिव बैंडेज टेप।

7. अलग-अलग साइज़ के पर्याप्त इलास्टिक क्रेप बैंडेज।
8. स्टरलाइज़्ड आई पैड।
9. एनाल्जेसिक (पैरासिटामोल-650 मिलीग्राम) और एंटासिड स्ट्रिप्स तथा पर्याप्त संख्या में ओआरएस सैशे।
10. पेन रिलीफ / एनाल्जेसिक स्प्रे
11. पॉलीथीन बॉथ बोतलें (सामान्य सेलाइन या डिस्टिल्ड बॉटर)
12. अलग-अलग साइज़ के की पर्याप्त रोलर बैंडेज
13. उपयुक्त सिंलंट।
14. रेससिटेशन एक्जुपमेंट जैसे एम्बू बैग।
15. डिस्पिन, सॉबिट्रेट जैसी गोलियाँ।
16. एंटी-एलर्जिक दवाएँ, आई ड्रॉप्स।
17. स्लेक बाइट लैंसेट
18. फर्स्ट एड लीफलेट की एक प्रति जिसमें आस-पास के अस्पतालों के आपातकालीन संपर्क नंबर शामिल हों।

[फा. सं. एस.65025/01/2020-आईएसएच-II]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 24 th September 2025

G.S.R.710 (E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by Sections 23 & 24 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) are hereby notified as required by sub-section (1) of Section 134, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ravi Shankar Nirala, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Room No: 17, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi or by email (fas@dgfasli.nic.in and ravis.nirala@nic.in). The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub rule proposed to be submitted and the reasons therefore; Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of a period of 45 days, specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules prescribed under section 23 and 24 of the OSH&WC Code, 2020 for beedi and cigar workers.

1. Short title, extent and commencement (i) These rules may be called the Beedi and Cigar Workers Rules, 202... under Sections 23 and 24 of the Occupational Safety, Health, And Working Conditions Code, 2020.

ii. They extend to whole of India.

iii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Code” means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020;

(b) “Officer In charge Canteen” means the person (other than manager) appointed by the employer, for securing compliance with the provision in respect of canteens under the code.

(c) “Section” means the Section of the Code.

(d) “Annexure” means list annexed to these rules;

(e) “Negotiating Union or negotiating council” means negotiating union or negotiating council referred to in Section 14 of the Industrial Relations Code, 2020.

(2) The words and expressions used in these Rules and are not defined herein, but are in the Code, shall have respectively meaning assigned to them in the Code.

3. Cleanliness and hygiene under clause (i) of sub-section (2) of section 23: The employer of every industrial premise for manufacture of beedi and cigar shall ensure that: -

- (1) Every industry including its premises and surroundings are kept in sanitary and hygienic condition.
- (2) Surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and maintained in a hygienic condition.
- (3) The floor of every workroom is maintained in a clean and, so far as possible, dry and non-slippery condition.
- (4) Where wet work processes are carried out —
 - i. effective drainage is maintained;
 - ii. false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - iii. suitable anti-skid footwear for use while at work in such place are provided without expense to the employees.
- (5) Workrooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on.
- (6) As far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - i. during intervals between work; and
 - ii. in such a manner as to prevent the raising of dust.
- (7) Suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of waste are made under the effective supervision.

4. Ventilation, Temperature and Humidity under clause (ii) of sub-section (2) of section 23: The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) Suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature, and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours.
- (2) Adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing protective clothes or other suitable provisions, as necessary, free of charge.
- (3) Where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation, or where it is difficult to get the desired amount of air to the workroom without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided.

5. Precaution against dust under clause (iii) of sub section (2) of section 23 – The employer of every industrial premise shall ensure that no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until practicable measures have been taken to bring the levels of dust particles, which may be present, within the permissible limits.

6. Potable drinking water - under clause (v) of sub-section (2) of section 23: - The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) Adequate supply of clean, wholesome and safe drinking water is provided for, and be readily accessible to, all employees in all workplaces.
- (2) Any supply of drinking water other than the piped supply is contained in suitable vessels clearly marked or displayed in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, to indicate that the water is safe for drinking and such supply is replenished daily and all necessary precautions are taken to preserve the water and vessels from contamination;

- (3) Except where the water is delivered by a rising jet, the use of common drinking tumblers or cups is prohibited.
- (4) Where water is unsafe for drinking purposes, or is provided for use in industrial processes or other purposes, it is to be so indicated in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees.

7. Overcrowding -under clause (vi) of sub-section (2) of section 23: The employer of every industrial premise shall ensure that: -

(1) Adequate provisions are made to prevent overcrowding at any place where employees are required to work or assemble for any reason in the industrial premises, including:

- (i) Design and use of signs or symbols that indicate and illustrate overcrowding related hazards in all working areas specifying the number of employees allowed to work at such places at any one time;
- (ii) Vehicle and pedestrian pathways are kept separated using barriers indicated by distinctive colours and
- (iii) Deployment of vehicles are managed effectively and overcrowding is avoided.

8. Lighting (Illumination) - under clause (vii) of sub-section (2) of section-23: The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) All places in the industrial premises including all amenities for utility services where employees work or pass, or may have to work or pass in emergencies, are provided during time of use with adequate natural or artificial lighting, or both, suitable for the operations and the special type of work performed. Natural lighting is arranged wherever possible.
- (2) Artificial lighting is provided or arranged when daylight fails or for areas where the daylight illumination is insufficient.
- (3) At every work place where employees are exposed to risks in the event of failure of artificial lighting, are provided with automatic emergency lighting of sufficient intensity that should have energy sources independent of the installations for the general lighting systems and functional.

9. Latrine and urinal accommodation under clause (viii) of sub-section (2) of section 23: The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) (i) In every work place of a industrial premise, sufficient latrine and urinal accommodation are provided at conveniently accessible places separately for the use of male, female, transgender and person with disabilities employees.
- (ii) Such accommodation is sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and sanitary condition at all times.
- (2) (i) Floor of the latrine, urinal and the sanitary blocks are maintained in non-slippery condition.
- (ii) the internal walls of the latrines, urinals and the sanitary blocks are laid in glazed tiles. Alternatively, internal walls of the latrines and urinals are finished in such a manner to provide a smooth, polished and impervious surface to facilitate cleanliness and hygiene;
- (iii) Sanitary pans of latrines and urinals are kept washed and cleaned at all times.
- (3) At least one separate latrine accommodation, for every 25 male and 15 female employees, and at least one separate latrine accommodation each for person with disabilities employees and for transgender employees is provided and at least one urinal for every 15 males employed at the same time. Sufficient water supply is provided in every latrine and urinal accommodation.
- (4) Washbasin facility with tap water is made available.
- (5) Sanitary napkins in sufficient quantity are provided and maintained in the women's toilets for their use and the same are to be replenished on a daily basis.
- (6) Disposable bins with lids are provided within the women's toilets for the collection of the used sanitary napkins. The used napkins are safely disposed off. Disposable bins with lids shall also be provided within the toilets for men, transgender and person with disabilities.
- (7) Every latrine is kept under cover and so partitioned off as to secure privacy, and to have a proper door, fastenings and exhaust.
- (8) Where male, female, transgender and person with disabilities are employed, outside each latrine block a notice "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For persons with

disabilities only”, as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed.

(9) Waste or sullage water from latrines and urinals is treated and safely disposed of.

(10) Water taps in latrines-

- (i) where piped water supply is available, water taps are to be provided in or near such latrine accommodation; and
- (ii) if piped water supply is not available, water is provided by the means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrine and urinals.

10. Treatment of waste and effluents under clause (ix) of sub-section (2) of section 23: - The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) Effective arrangements are made for the treatment of wastes and effluents by ensuring compliance with the safety and health requirements.
- (2) Appropriate personal protective equipment (PPE) based on risk assessment of handling the waste and effluents are provided, free of charge; and
- (3) Employees handling the wastes and effluents are trained on the identified hazards and risks.

11. Washing facility - under clause (i) of sub-section (1) of section 24: The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) Suitable and sufficient washing facilities at easily accessible places are provided with regular and adequate supply of water including soap, towels separately for male, female, transgender and person with disabilities employees, which are:
 - i. separated from the workplaces;
 - ii. Well ventilated;
 - iii. With proper drainage system;
 - iv. maintained in a sanitary and hygienic condition;
 - v. capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
 - vi. Appropriately demarcated with "For men only" or "For women only" or "for transgender persons only" or "For persons with disabilities only", as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed outside.
- (2) The use of common towels is prohibited.

12. Provisions of bathing places and locker rooms under clause (ii) of sub-section (1) of section-24: The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) Suitable, separate and sufficient bathing places and locker facility, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places with regular and adequate supply of water including soap and towels for male, female, transgender and persons with disabilities separately, are provided which are: -
 - i. separated from the workplaces;
 - ii. well ventilated;
 - iii. with proper drainage system;
 - iv. maintained in a sanitary and hygienic condition;
 - v. capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
 - vi. Properly demarcated with "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For person with disabilities only", as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed outside
- (2) Suitable, separate locker facilities, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places for storing clothing that are worn during working hours and for special clothing which is worn by any employee at work but is not taken home, for male, female, transgender and persons with disabilities.

13. Place for keeping and drying clothing under clause (iii) of sub-section (1) of section 24 – The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) Suitable, separate and sufficient installations, as may be necessary owing to the nature of work, for male female, transgender and person with disabilities employees for keeping clothes not worn during working hours and drying them are available.
- (2) These installations are placed in rooms separate from the workrooms.
- (3) A changing room is provided with suitable facilities for male female, transgender and person with disabilities employees for drying wet clothes and for hanging clothing including, where necessary to avoid contamination with poisonous, infectious, irritating or radioactive substances and are also provided suitable lockers for separating working clothes from street clothes.
- (4) When employees are engaged in processes of such a nature that their working clothes are liable to become wet or have to be washed between shifts, suitable arrangements are made to ensure that dry clothes are always available to each employee on his return to work.
- (5) These facilities are to be provided with-
 - (i) individual lockers of adequate size and with adequate ventilation,
 - (ii) benches or other suitable seating arrangements.

14. Provision of Canteens under clause (v) of sub-section (1) of section 24: The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) At every industrial premise where in 100 or more workers including contract labourers are ordinarily employed, a canteen in or adjacent to the precincts of the industrial premise, is provided and maintained to provide nutritious, wholesome and healthy food for the employees;
- (2) The employer of the industrial premises can also provide facility of canteen through common canteen in or adjacent to industrial premises;
- (3) The canteen is situated at appropriate distance from any latrine, urinal and process area to avoid dust, smoke or obnoxious fumes;
- (4) The canteen is constructed to accommodate at least a dining hall, kitchen, store room, pantry and washing places separately for employees and for utensils.
- (5) Canteen has separate doors for entry and exit.
- (6) Dining Hall
 - i. The dining hall is separated from any place where a hazardous substance may contaminate food, dishes or utensils;
 - ii. The dining hall is furnished with a sitting arrangement to accommodate sufficient number of employees normally using at any one time;
 - iii. A portion of the dining hall and service counter is partitioned off and reserved for women employees and person with disabilities employees; and
 - iv. Washing places for male, female, transgender and person with disabilities employees are separate and screened to secure privacy.
- (7) Equipment
 - i. All equipment and utensils that come into contact with food are cleaned and maintained in hygienic condition;
 - ii. Furniture and other equipment are maintained in a clean and hygienic condition.
- (8) Storage, Preparation and Handling of food
 - i. Each food handler is trained and instructed in food handling practices that prevent the contamination of food; and
 - ii. No person who is suffering from a communicable disease is allowed to work as a food handler.
- (9) Food waste and garbage are removed from the food preparation area or dining hall, stored in covered containers and disposed of periodically.
- (10) Food, drink and other items are sold on a no profit no loss basis wherein the rates are fixed by canteen management committee; and

- (11) The charges per portion of food items, beverages and any other items served in the canteen are displayed in the canteen.
- (12) Canteen Management Committee
- (i) A Canteen Managing Committee is constituted to carry out the following functions:
 - a. the quality and the quantity of food stuffs to be served in the canteen;
 - b. the arrangements of the menu;
 - c. the timings of meals in the canteen; and
 - d. any other relevant matter

Provided that where the canteen is managed by a co-operative society registered under the Multi State Co-operative Societies Act, 2002 it shall not be necessary to appoint a Canteen Managing Committee.

(ii) The Canteen Managing Committee consists of an equal number of representative of employees and employer;

(iii) the representatives of employer are nominated by the employer and

(iv) the representatives of worker are nominated by negotiating union or negotiating council as the case may be and where there is no negotiating union or negotiating council the employees will choose amongst themselves the worker representatives of the canteen committee. At least one-woman worker is nominated in the canteen management committee wherever women workers are employed.

(v) The tenure of the committee shall be determined mutually. One-third of the committee members of employees and occupier shall be rotated every two years.

(vi) The canteen managing committee decides on the running of the canteen in consultation with the canteen manager.

.15. First Aid and Medical Appliances - under clause (vii) of sub-section (1) of section 24: - The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (1) In every industrial premise or part thereof where employees are at work, first aid boxes or cup-boards in adequate numbers with necessary items are provided and maintained so as to be readily accessible during working hours.
- (2) In each shift, every first-aid box or cupboard is kept under the charge of a worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who is available during the working hours of the industrial premise or part thereof.

At least one fully equipped first-aid box or cupboard in every department or section is available and maintained properly all the time during working hours.

The number of first aid boxes has to increase if the number of employees is more than 200 employees in department or section. The illustrative list of contents of every first-aid box or cupboard is annexed at **Annexure- I** and employer may add more items as per requirement.

- (3) At least 33 percent of the workers in a industrial premise are trained in first-aid procedures and refresher training to be imparted in every 3 years. Wherever woman workers are employed, at least one-woman worker is trained. First Aid training is conducted by the trainer having medical qualification included in the Schedule- I or Schedule- II or Part- II of the Schedule- III of the Indian Medical Council Act of 1956. The person possessing qualifications included in Part II of Schedule- III of the Indian Medical Council Act of 1956 should also fulfil the condition specified in section 13(3) of the Indian Medical Council Act 1956 or as per the Chapter- VI of National Medical Commission (NMC) Act 2019 or diploma or degree in Industrial Health, Public Health, Emergency Medicine or equivalent.
- (4) Every case of injury or illness during the course of work is reported to the supervisor in the industrial premise for injury and illness surveillance and adequate and suitable arrangements are made available for speedy evacuation or referral of persons employed in the industrial premise who while on duty suffers from serious bodily injury or illness of a serious nature or as the nature of injury and illness as decided by the first aider, from the industrial premise or part thereof to the nearest dispensary or hospital.
- (5) Every employee receiving an injury during the course of work shall report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who shall make arrangements for rendering first-aid to the injured as may be required. Where the employee receiving an injury is not in a position

to report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment, it shall be the duty of the person who first comes to know of it to report the same to the worker or supervisor.

(6) If in the opinion of the supervisor, the injury is of such a nature so as to require immediate medical attention by the qualified medical practitioner, he shall arrange for the qualified medical practitioner to be called or bring it to the notice of the employer or his representative in the industrial premise.

(7) It is the duty of the employer or his representative to ensure that adequate and suitable arrangements are made available for speedy transportation of that employee to nearest dispensary/ hospitals preferably by means of a proper ambulance van.

16. Crèche Facility under sub-section (3) of section 24 :- The employer of every industrial premise shall ensure that: -

1. In every industrial premise wherein more than 50 workers are ordinarily employed, a crèches facility is provided and maintained for the use of children under the age of six years of employees.
2. Mobile crèche will be provided, wherever required.
3. Each Crèche facility is free and accessible to all employees;
4. The Crèche is located within the workplace as much as possible, or in a nearby accessible location;
5. The Crèche is not situated in close proximity to any industrial premise where dust or odours are given off;
6. There is in or adjoining the crèche a suitable washroom for the washing of the children and their clothing;
7. The Crèche is maintained in a clean, hygienic and sanitary condition;
8. Personal cleanliness of the child is maintained.
9. The Crèche is under the charge preferably woman for the care of children and infants;
10. Police verifications of in charge of creche, support staff and guard are mandatory.
11. The person in charge of the crèche should have and maintain information about the child's identity, residential address etc.
12. Details of the person who is picking up and dropping the child to the creche should be available with the caretaker and the child should be handed over to that person only. In case any other person picks up or drops the child, then his/her identity with the authorization from parents would be necessary.
13. Attendance of all children is taken in the morning on the child's arrival as well as at the time when child is picked up.
14. Sufficient supply of clean clothes, soaps and clean towels is available for each child while the child is in the Crèche;
15. The Crèche is furnished with a suitable number of resting arrangements;
16. Sufficient supply of nutritious, wholesome and healthy food to all children as per their dietary requirements is provided;
17. All sharp objects like scissors, knives, blades, pins etc. are always kept away from the children.
18. Chemicals such as detergents, cleaning agents, phenyl etc. are kept out of the child's reach.
19. The Crèche is provided with non-combustible covered receptacles for the disposal of waste food or other waste material;
20. All electrical switches/plugs are out of children's reach.
21. Evacuation plan to be displayed at the crèche.
22. No child is left alone at any point in the crèche, even during breaks.
23. Any kind of verbal or physical abuse is strictly prohibited.
24. Any kind of sexual abuse and sexual exploitation to be strictly dealt under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.
25. Through the supervisor, that no persons, known or unknown be allowed inside the crèche at any point of time, during the functioning hours of the crèche. For example, civil work should preferably be done during weekend/holidays only.

26. The Crèche has CCTV monitoring during the working hours.
27. Important and emergency contact numbers (helplines like 112, 1098, fire services, child protection officer, nearest police station etc.) are displayed within the creche premises for easy access and reference.
28. Required Medical support system / staff is made available on call.

Section 24 (2) (vii): Any other matter which may be prescribed.

17. Mock Drills

The employer of every industrial premise shall ensure quarterly conduct of Mock drills to check emergency preparedness to deal with various emergencies.

ANNEXURE- I

LIST OF CONTENTS OF FIRST AID BOX as provided under Rules 16(2) :-

1. Appropriate number of small, medium and large sized sterilized dressings pads
2. Appropriate number of large size sterilized burn dressings pads
3. Appropriate number of packets of sterilized cotton
4. Sufficient quantity of Cetrimide solution (1%-3%) or a suitable antiseptic solution (10% Povidone Iodine)
5. Pair of scissors, Tweezers, Tourniquet and disposable gloves
6. Adequate adhesive Tapes and adhesive Bandage Tape of different sizes.
7. Adequate Elastic crepe bandages of different sizes.
8. Sterilized eye pads.
9. Strips containing analgesic (Paracetamol-650 mg) and Antacid and adequate number of ORS Sachets.
10. Pain relief / analgesic spray
11. Polythene wash bottles (Normal Saline or Distilled Water)
12. Adequate Roller bandages of different sizes.
13. Suitable splints.
14. Resuscitation equipment such as ambu bag.
15. Tablets such as Disprin, Sorbitrate.
16. Anti-allergic medicine, eye drops
17. Snake bite lancet
18. One copy of First-aid leaflet which includes emergency contact numbers of nearby hospitals.

[F. No. S.65025/01/2020-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour & Employment Advisor